

संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

वरिष्ठ प्रबन्धक (वन), यूपीडा के पत्र संख्या 4069/1832/यूपीडा/21 (वन) दिनांक 29.07.2021 के कम में इस वन प्रभाग की गढ़मुक्तेश्वर रेंज के अन्तर्गत यूपीडा के प्रतिनिधि श्री सुभम भैसारे व श्री अवनीश कुमार अग्निहोत्री, श्री राजेश कुमार (क्षेत्रीय वनाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर), श्री अरुण कुमार व0द0, श्री गौरव कुमार गर्ग व0द0 की उपस्थिति में गंगा एक्सप्रेसवे संरक्षण में आ रहे स्याना-गढ़ मार्ग व हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर रेलवे मार्ग पर बाधक वृक्षों एवं प्रभावित संरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में संयुक्त पुनः सर्वेक्षण कार्य किया गया, जिसमें 2.0342 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 1190 वृक्ष/पौधे प्रभावित हो रहे हैं।

गंगा एक्सप्रेस-वे के संरक्षण में प्रयुक्त हो रही संरक्षित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

क 0 सं 0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	ग्राम, मार्ग का नाम, कि०मी०	बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)		गजट नोटिफिकेश न संख्या
					संरक्षित	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	भैना सदरपुर, स्याना-गढ़ मार्ग कि०मी० 40	दाँयी पटरी 167 वृक्ष/240 पौधे	0.5829	0.5829	115/XIV- 331-50 Dt. 10.02.1960
2				बाँयी पटरी 162 वृक्ष/240 पौधे	0.7973	0.7973	
3			हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर मार्ग	दाँयी व बाँयी पटरी 0 वृक्ष/0 पौधे	0.216	0.216	4041/XIV- 331-50 Dt. 15.02.1954
4			अनुप शहर कैनाल	दाँयी व बाँयी पटरी	0.438	0.438	
		योग			2.0342	2.0342	

उक्त वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण में किया जाना अपरिहार्य है तथा वह यह ली जाने वाली वन भूमि परियोजना हेतु न्यूनतम है।



(शुभम भैसारे)
यूपीडा प्रतिनिधि



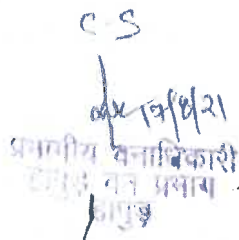
(अवनीश कुमार अग्निहोत्री)
यूपीडा प्रतिनिधि

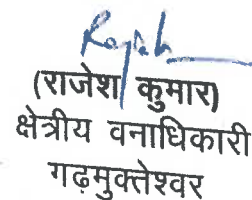


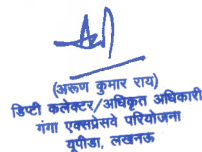
(अरुण कुमार शर्मा व0द0)
सैक्सन अधिकारी
अनुभाग सिम्भावली



(गौरव कुमार गर्ग व0द0)
सैक्सन अधिकारी
अनुभाग बृजघाट

C.S

क्षेत्रीय वनाधिकारी
गढ़मुक्तेश्वर


(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
गढ़मुक्तेश्वर


(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्र संख्या 12103/1832यूपीडा/20(वन) दिनांक 07.10.2020 के क्रम में यूपीडा के प्रतिनिधि श्री योगेश परिहार एवं इस वन प्रभाग के प्रतिनिधि श्री शीशपाल सिंह विष्ट, क्षेत्रीय वनाधिकारी, श्री सुमित कुमार, वन दरोगा एवं श्री महावीर सिंह, वन रक्षक की उपस्थिति में गंगा एक्सप्रेसवे के संरक्षण में आ रहे ग्रामों में स्थित एवं प्रभावित वन भूमि के सम्बन्ध में संयुक्त सर्वेक्षण कार्य किया गया, जिसमें 1.68 हे० आरक्षित वन क्षेत्र, कुल 1.68 हे० आरक्षित वन क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे के संरक्षण में अमरोहा वन प्रभाग के प्रभावित हो रहे गैर संरक्षित वन एवं आरक्षित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र० सं०	प्रभाग का नाम	रेंज	वन ब्लॉक/मार्ग/रेल पटरी का नाम	बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या	क्षेत्रफल (हे०में)			गजट नोटिफिकेशन संख्या
					आरक्षित	संरक्षित	योग	
01	अमरोहा	हसनपुर	दीलतपुर कला वन ब्लॉक	3360 पौधे	1.68	—	1.68	विज्ञप्ति सं० 23(2) 90/14-अ-67 दिनांक- 20. 11.1967
02	अमरोहा	हसनपुर	मंगरोला हसनपुर गढ़ मार्ग दांयी पटरी	76	—	—	—	गैर संरक्षित वन भूमि
03	अमरोहा	हसनपुर	मंगरोला हसनपुर गढ़ मार्ग बांयी पटरी	121	—	—	—	गैर संरक्षित वन भूमि
04	अमरोहा	हसनपुर	उझारी- डवारसी मार्ग किमी० 3 से 4 दांयी पटरी	32	—	—	—	गैर संरक्षित वन भूमि
05	अमरोहा	हसनपुर	उझारी- डवारसी मार्ग किमी० 3 से 4 बांयी पटरी	18	—	—	—	गैर संरक्षित वन भूमि
06	अमरोहा	हसनपुर	सिरसा पिपलौती मार्ग/बंदा दांयी पटरी	14	—	—	—	गैर संरक्षित वन भूमि
07	अमरोहा	हसनपुर	सिरसा पिपलौती मार्ग/बंदा बांयी पटरी	08	—	—	—	गैर संरक्षित वन भूमि
योग				269	1.68	—	1.68	

उक्त वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में किया जाना अपरिहार्य है तथा वह यह ली जाने वाली वन भूमि परियोजना हेतु न्यूनतम है।

यूपीडा के द्वारा संसूचित संरक्षण मानचित्र ग्रामों की सूची मार्ग की नपत एवं भू-निर्देशकों के अनुसार उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वन भूमि उक्त प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रभावित नहीं हो रही है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनपुर

(योगेश परिहार)
यूपीडा प्रतिनिधि

(शीशपाल सिंह विष्ट)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनपुर रेंज

(अजय कुमार पाण्डे)
उपप्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा

(रमेश चन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा

(अरुण कुमार राय)
हिन्दी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा के पत्र संख्या 12103/1832यूपीडा/20(वन) दिनांक 07.10.2020 के क्रम में इस वन प्रभाग की चन्दौसी रेंज के अन्तर्गत यूपीडा के प्रतिनिधि श्री योगेश परिहार, श्री नजाकत हुसैन, क्षेत्रीय वन अधिकारी, चन्दौसी रेंज, श्री विदेश पाल सिंह, वन दरोगा एवं श्री नीरज कुमार वन रक्षक तथा सम्मल रेंज के अन्तर्गत यूपीडा के प्रतिनिधि श्री योगेश परिहार, श्री नजाकत हुसैन, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सम्मल रेंज, श्री डी0सी0 पाण्डेय, क्षेत्रीय वन अधिकारी/संरक्षण प्रभारी पवांसा, श्री उसमान अली, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं श्री रजिउल अब्बास, वन रक्षक की उपस्थिति में गंगा एक्सप्रेसवे के संरक्षण में आ रहे ग्रामों में स्थित एवं प्रभावित संरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में संयुक्त सर्वेक्षण कार्य किया गया, जिसमें कुल 4.052 हे० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है।

गंगा एक्सप्रेसवे के संरक्षण में सम्मल वन प्रभाग, सम्मल के अन्तर्गत प्रभावित हो रही संरक्षित वन भूमि एवं बाधक वृक्ष/पौधों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	मार्ग /रेल पटरी का नाम	बाधक वृक्षों / पौधों की संख्या	क्षेत्रफल(हे० में)			गजट नोटिफिकेशन संख्या
					आरक्षित	संरक्षित	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सम्भल वन प्रभाग, सम्भल	चन्दौसी	सम्भल-बहजोई मार्ग KM-75 (वैनेज 115+750) (Lx Ex Way)	दांयी पटरी- 10 वृक्ष एवं 40 पौधे बांयी पटरी- 22 वृक्ष एवं 40 पौधे	-	0.432 हे०	0.432 हे०	1115/XIV-331-50 Dt. 10.02.1960
2			डिबाई-बबराला-चन्दौसी मार्ग (नया एन०एच०-509) (वैनेज KM-56 123+300) (Lx Ex Way)	दांयी पटरी- 33 वृक्ष एवं 120 पौधे बांयी पटरी- 40 वृक्ष एवं 125 पौधे	-	0.280 हे०	0.280 हे०	1115/XIV-331-50 Dt. 10.02.1960
3			डिबाई-बबराला-चन्दौसी मार्ग (नया एन०एच०-509) (वैनेज K.M-55-56 123+300) ट्रम्पेट निर्माण (Lx Ex Way)	दांयी पटरी- 289 वृक्ष एवं 1490 पौधे बांयी पटरी- 273 वृक्ष एवं 1540 पौधे	-	2.80 हे०	2.80 हे०	1115/XIV-331-50 Dt. 10.02.1960
4			अलीगढ़-चन्दौसी रेल मार्ग (वैनेज K.M-82 123+100) (Lx Ex Way)	दांयी पटरी- 01 वृक्ष	-	0.540 हे०	0.540 हे०	Appendix 18.4 No. 104/(2)/14-2-503-77 Dt. 09.05.1977
5		सम्भल	सम्भल-गवा-अनूपशहर मार्ग	दांयी पटरी- 26 वृक्ष बांयी पटरी- 07 वृक्ष	-	-	-	गैर संरक्षित वन भूमि
6			हिसामपुर-भटौला मार्ग	दांयी पटरी- 08 वृक्ष बांयी पटरी- 07 वृक्ष	-	-	-	गैर संरक्षित वन भूमि
7			पवांसा-साकिन-शोभापुर मार्ग	दांयी पटरी- 19 वृक्ष बांयी पटरी- 24 वृक्ष	-	-	-	गैर संरक्षित वन भूमि
योग				कुल 759 वृक्ष एवं 3355 पौधे	-	4.052 हे०	4.052 हे०	

उक्त वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग गंगा प्रभाग के अधीन है।

उक्त वन भूमि का गैर बानिकी प्रयोग गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में किया जाना अपरिहार्य है तथा यह ली जाने वाली वन भूमि परियोजना हेतु न्यूनतम है। यूपीडा के द्वारा संसूचित संरक्षण मानचित्र ग्रामों की सूची मार्ग की नपत एवं भू-निर्देशांकों के अनुसार उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वन भूमि प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रभावित नहीं हो रही है।

(योगेश परिहार)
यूपीडा प्रतिनिधि।
21/05/21

(नजाकत हुसैन)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
चन्दौसी/सम्मल रेंज।
21/05/21

(कन्दौसा पटेल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्मल वन प्रभाग, सम्मल।

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्र संख्या 12103/1832यूपीडा/20(वन) दिनांक 07.10.2020 के क्रम में यूपीडा के प्रतिनिधि श्री शुभम भैसारे एवं इस वन प्रभाग के प्रतिनिधि श्री रविन्द्र सिंह बिष्ट, क्षेत्रीय वनाधिकारी, दातागंज एवं बिसौली तथा श्री नवेद इकराम क्षेत्रीय वन अधिकारी बदायूँ की उपस्थिति में गंगा एक्सप्रेसवे के संरक्षण में आ रही प्रभावित संरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में संयुक्त सर्वेक्षण कार्य किया गया था। जिसमें 4.311 हे० संरक्षित वन क्षेत्र की भूमि प्रभावित हो रही थी जिसका संयुक्त निरीक्षण पूर्व में किया जा चुका था। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी के वरिष्ठ प्रबन्धक(वन) का पत्रांक 4088/1832यूपीडा/21(वन) दिनांक 29.07.2021 के द्वारा बिसौली रेंज के अन्तर्गत महेरा ग्राम (बदायूँ-बिसौली मार्ग) हेतु पुनः संयुक्त सर्वेक्षण कार्य हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध श्री महफूज अली क्षेत्रीय वन अधिकारी बिसौली एवं यूपीडा के प्रतिनिधि श्री शुभम भैसारे एवं अवनीश कुमार अग्निहोत्री के द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण कार्य किया गया जिसमें 40 राजकीय बाधक वृक्ष एवं 0.6147 हे० संरक्षित वन भूमि और प्रभावित हो रही है अर्थात् गंगा एक्सप्रेसवे के संरक्षण में बदायूँ वन प्रभाग के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 4.9257 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक राजकीय वृक्षों का संशोधित विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	रेल	ग्राम का नाम	मार्ग/रेल पटरी का नाम	बाधक राजकीय वृक्षों की संख्या	बिगत वर्षों का प्रभावित वृक्षारोपण के पौधों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			गजट नोटिफिकेशन संख्या
							आरक्षित वन भूमि	संरक्षित वन भूमि	योग	
1		बदायूँ	बिनावर	(बदायूँ- बरेली मार्ग)	12	180	—	0.192	0.192	1115/xIV-331-50 Dt. 10/02/1960
2			महोम्मदपुर ब्योर	(बदायूँ- बरेली रेल मार्ग)	0	0	—	0.525	0.525	
3			घटपुरी	(बदायूँ-बरेली मार्ग)	65	532	—	0.928	0.928	
4		दातागंज	बिहारीपुर फिरोजपुर अरिल	(बदायूँ- दातागंज मार्ग)	34	0	—	0.120	0.120	
5		बिसौली	महेरा	(बदायूँ- बिसौली मार्ग)	731	0	—	1.7517	1.7517	
6			करगाँव	(बदायूँ- बिसौली मार्ग)		0	—	0.336	0.336	
7			वनकोटा	(बदायूँ- बिसौली मार्ग)		0	—	1.073	1.073	
योग					842	712		4.9257	4.9257	

उक्त वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में किया जाना अपरिहार्य है तथा वह यह ली जाने वाली वन भूमि परियोजना हेतु न्यूनतम है।

यूपीडा के द्वारा संसूचित संरक्षण मानचित्र ग्रामों की सूची मार्ग की नपत एवं भू-निर्देशकों के अनुसार उक्त संरक्षित वन भूमि में अतिरिक्त अन्य कोई वन भूमि प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रभावित नहीं हो रही है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य मार्ग पर कुल 446 वृक्ष एवं बिगत वर्षों के वृक्षारोपण में 1000 पौधे भी प्रभावित हो रहे हैं।


(शुभम भैसारे)
यूपीडा प्रतिनिधि


(अवनीश कुमार अग्निहोत्री)
यूपीडा प्रतिनिधि


(रविन्द्र सिंह बिष्ट)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
बदायूँ एवं दातागंज रेंज


(महफूज अली)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
बिसौली रेंज


(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सा.वा. प्रभाग बदायूँ


(अनिल कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

L.N. MALVIYA HFRA PROJECTS. PVT. LTD के पत्रांक एल0एन0एम0यू0पी0पी0एल0 दिनांक-19-03-2021 के कम में प्रकरण से अच्छादित स्थल की पुनः संयुक्त निरीक्षण किये जान की मांग की गयी थी। जिसके कम में प्रमाणीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, शाहजहाँपुर के पत्रांक 3226/31-1 दिनांक 19-03-2021 के अनुपालन में दिनांक 27/03/2021 को संरक्षित वन भूमि का गंगा एक्सप्रेस-वे इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आथोरिटी के प्रतिनिधि श्री शुभम भैसारे, यूपीडा कन्सल्टेंट एवं श्री विकास प्रताप सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी जलालाबाद द्वारा प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस परियोजना के संरेखण में आ रही संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल व बाधक वृक्षों की संशोधित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	मार्ग का नाम	श्रेणी	संरेखण मानचित्र के अनुसार चैनेज सं०	प्रभावित निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली संरक्षित वन भूमि वर्ग मी० में	क्षेत्र है० में	बाधक वृक्षों की सं०
1	2	3	4	5	6	7
1	बरली इटावा मार्ग दायी पटरी	संरक्षित वन भूमि	248+600	ल० 120 मी X चै 26.5 मी० = 3180	.318	29 वृक्ष
2	बरली इटावा मार्ग बायी पटरी	संरक्षित वन भूमि	248+600	ल० 120 मी X चै 26.66 मी० = 3200	.320	19 वृक्ष
3	शाहजहाँपुर जलालाबाद मार्ग दायी पटरी	संरक्षित वन भूमि	255+200	ल० 120 मी X चै 17.5 मी० = 2100	.210	26 वृक्ष
4	शाहजहाँपुर जलालाबाद मार्ग बायी पटरी	संरक्षित वन भूमि	255+200	ल० 120 मी X चै 17.5 मी० = 2100	.210	32 वृक्ष
5	शाहजहाँपुर जलालाबाद मार्ग बायी पटरी (ट्रमपेट दायी पटरी)	संरक्षित वन भूमि	255+167	ल० 1011 मी X चै 17.5 मी० = 17692.5	1.76925	347 वृक्ष
7	शाहजहाँपुर जलालाबाद मार्ग बायी पटरी (ट्रमपेट बायी पटरी)	संरक्षित वन भूमि	255+167	ल० 617 मी X चै 17.5 मी० = 10797.5	1.07975	412 वृक्ष
				कुल	3.907	865 वृक्ष

(Signature)
27/03/21

(शुभम भैसारे)

यूपीडा कन्सल्टेंट,

गंगा एक्सप्रेस-वे इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आथोरिटी

(Signature)
27/03/21

(विकास प्रताप सिंह)

क्षेत्रीय वन अधिकारी,

जलालाबाद

प्रति- छात्राङ्कति

AKW

क्षेत्रीय निरीक्षक
वन

(Signature)

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (यूपीडा) विपिन खण्ड गोमती नगर लखनऊ द्वारा जनपद हरदोई के अर्न्तगत (मेरठ-प्रयागराज) गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेस-वे के संरेखण से प्रभावित आरक्षित/संरक्षित वन भूमि एवं बाधक वृक्षों की संख्या गैर वन भूमि स्थल का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक-02-01-2021, दि0-22-03-2021 व दिनांक-01-04-2021 को किया गया। यूपीडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शुभम भैसारे, श्री ओम प्रकाश, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिलग्राम व श्री हनुमान प्रसाद, क्षेत्रीय वन अधिकारी, हरपालपुर एवं श्री नरेन्द्र वर्मा क्षेत्रीय वन अधिकारी, शाहाबाद, सा0वा0वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य किया गया है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

1- तहसील-बिलग्राम के अर्न्तगत गंगा एक्सप्रेस-वे के संरेखण में निम्नानुसार आरक्षित/संरक्षित वन भूमि व वृक्ष प्रभावित हो रही है। विवरण निम्नवत है:-

क0 स0	जनपद/ प्रभाग का नाम	रेज	वन ब्लॉक/मार्ग/ रेल/नहर पट्टरी	संरक्षित वन भूमि	आरक्षित वन भूमि	कुल क्षेत्रफल (हे0मे)	बाधक वृक्षों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हरदोई	बिलग्राम	बिलराया-पनवारी मार्ग राजमार्ग सं0-21 (हरदोई-बिलग्राम मार्ग)	0.5486	0	0.5486	19 वृक्ष व 36 त्रिकगार्ड	-
2				0.9336	0	0.9336	61 वृक्ष व 110 त्रिकगार्ड	ट्रम्पेट एरिय (जक्शन)
3	हरदोई	बिलग्राम	कटरा-जलालाबाद- बागरमऊ-बिल्हीर मार्ग (राजमार्ग सं0-38)	0.390	0	0.390	27 वृक्ष	-
4	हरदोई	बिलग्राम	सीतापुर-बालामऊ- उन्नाव-रेलवे लाइन	0.360	0	0.360	02 वृक्ष	-
5	हरदोई	बिलग्राम	शारदा नहर	0.000	0	0	22 वृक्ष	-
6	हरदोई	बिलग्राम	घौघी वन ब्लॉक	0.000	2.3534	2.3534	0	-
7	हरदोई	बिलग्राम	कुतुवापुर वन ब्लॉक	0	0.0451	0.0451	0	-
8	हरदोई	बिलग्राम	बेरुआ निजामपुर वन ब्लॉक	0	1.6566	1.6566	0	-
9	हरदोई	बिलग्राम	शेरपुर जरीली	0	0	0	7 वृक्ष व 10 त्रिकगार्ड	वन विभाग की नर्सरी ग्राम समाज भूमि पर स्थापित है। क्षे0-0.3010 हे0 भूमि प्रभावित हो रही है।
	योग		-	2.2322	4.0551	6.2873	138 वृक्ष व 156 त्रिकगार्ड	

- 2- गंगा एक्सप्रेस-वे से प्रभावित धौली आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल 1669 मि. क्षेत्र 1886 हे० भूमि पर लगभग 2000 से अधिक वृक्षों के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में कटाय गये वृक्षारोपण कार्य प्रभावित हो रहा है। वृक्षारोपण कार्य पर धनराशि रु०-4441021 व्यय हुआ है जिसकी क्षतिपूर्ति की अदायगी प्रस्तावक विभाग 10 प्रतिशत वार्षिक बड़ोत्तरी के साथ भुगतान करने हेतु सहमत है।
- 3- गंगा एक्सप्रेस-वे से प्रभावित बरौआ मिर्जापुर वन भूमि पर क्षतिपूर्त वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020 में खपेट 460 वीथ प्रभावित हो रहा है। वृक्षारोपण कार्य पर धनराशि रु०-654510 व्यय हुआ है जिसकी क्षतिपूर्ति की अदायगी प्रस्तावक विभाग 10 प्रतिशत वार्षिक बड़ोत्तरी के साथ भुगतान करने हेतु सहमत है।
- 4- गंगा एक्सप्रेस-वे से प्रभावित आरक्षित/संरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल 62873 हे० भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं कर रहे हैं तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कोई दावा सम्बन्धित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
- 5- गंगा एक्सप्रेस-वे से प्रभावित/धारायोग में आने वाली भूमि (वन भूमि) के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की सीमा न्यूनतम है।

(हनुमान प्रसाद)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
हरपालपुर।

(ओम प्रसाद)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
विलखान।

(शुभम मैसारे)
अधिकृत प्रतिनिधि
एल०एन०माल
इन्फ्रा प्रोजेक्ट
भोपाल (मध्य प्रदेश)



(नरेन्द्र वर्मा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहाबाद

प्रशासीय निदेशक

विभाग वन एवं अन्य जीव प्रभाग
हरदोह

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीका, लखनऊ

संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्र संख्या 12103/1832यूपीडा/20(वन) दिनांक 07.10.2020 के क्रम में यूपीडा के प्रतिनिधि श्री शुभव भैसारे एवं इस वन प्रभाग के प्रतिनिधि श्री एस0के0 सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाँगरमऊ, श्री डी0डी0 पाल क्षेत्रीय वन अधिकारी, हसनगंज तथा श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, क्षेत्रीय वन अधिकारी, उन्नाव तथा श्री राजीव कुमार, वनविद, बाँगरमऊ, श्री अशोक पाण्डेय, वनविद, हसनगंज तथा श्री रामदत्त, वनविद, उन्नाव रेन्ज की उपस्थिति में गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में आ रहे ग्रामों में स्थित एवं प्रभावित वन भूमि के सम्बन्ध में संयुक्त सर्वेक्षण कार्य किया गया जिसमें 61.3621 हे0 आरक्षित वन क्षेत्र तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन क्षेत्र अर्थात् कुल 67.7839 हे0 वन क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में उन्नाव वन प्रभाग के प्रभावित हो रहे संरक्षित वन एवं आरक्षित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र० सं०	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	आरक्षित वन (हे०में)	संरक्षित वन (हे०में)	गजट नोटिफिकेशन की संख्या
1.	Unnao	Bangarmau	Navabadgrant	12.4150	-	3256/xiv-B-1274-59 date 18-06-1961
2.			Byoli Islamabad	4.637	-	-----,-----
3.		Hasanganj	Kotra	0.5910	-	4768/14-2-20(21)-75 Adhsuchna no. 3256/14-B Date 13-06-1961
4.			Purva	0.1800	-	3256/xiv-B-1274-59 date 18-06-1961
5.			Salempur	5.7237	-	3256/xiv-B-1274-59 date 18-06-1961
6.			Mvai Brahman	13.2190	-	2888/14-2-4(6)-91 date 15-10-1991
7.			Murtzanagar	5.1127	-	3256/xiv-B-1274-59 date 18-06-1961
8.		Unnao	Pawai	6.6240	-	969/14-2-20(12)-75 Adhsuchna no. 3256/14-B-1274-59 date 12-06-1961
9.			Majkhorla	9.4547	-	655/14-ख-4(13)-69 date 26-07-1969
10.			Rupau	3.4050	-	-----,-----
11.			Lucknow-Kanpur N.H.	-	6.0350	3208/xiv date 23-08-1955
			Unnao-Lucknow Railway line	-	0.3868	
Total				61.3621	6.4218	
Grand Total				67.7839		

उक्त वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में किया जाना अपरिहार्य है तथा यह ली जाने वाली वन भूमि परियोजना हेतु न्यूनतम है।

यूपीडा के द्वारा संसूचित संरेखण मानचित्र, ग्रामों की सूची, मार्ग की नपत एवं भू-निर्देशकों के अनुसार उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वन भूमि उक्त प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रभावित नहीं हो रही है।


(जबलेश कुमार भैसारे) (एस.के. सिंह)
यूपीडा प्रतिनिधि क्षेत्रीय वन अधिकारी,
बाँगरमऊ


(डी.डी. पाल)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
हसनगंज


(वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
उन्नाव


(दीपक कुमार श्रीवास्तव)
उपप्रभागीय वनाधिकारी,
बाँगरमऊ


(आर०एन० चौधरी)
(उपप्रभागीय वनाधिकारी)
उन्नाव


(ईशा तिवारी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव


(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्र संख्या-12103/1832यूपीडा/20(वन) दिनांक-07.10.2020 एवं वरिष्ठ प्रबन्धक (वन), यूपीडा के पत्रांक-3091/1832/यूपीडा/21 (वन) दिनांक-27.07.2021 के क्रम में रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित डलमऊ, सलोन एवं लालगंज रेंजों का यूपीडा के प्रतिनिधि श्री संजय झा, राजस्व विभाग एवं रेंजों के क्षेत्रीय वनाधिकारियों क्रमशः श्री हरिओम श्रीवास्तव, श्री नागेन्द्र कुमार एवं श्री फिरोज खान की उपस्थिति में गंगा एक्सप्रेस-वे के संरक्षण में आ रही वन भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, जिसमें **23.552 हे०** आरक्षित वन भूमि एवं **6.1746 हे०** संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी तथा विभागीय कुल **322 वृक्ष** एवं **47746 पौधे** बाधक/प्रभावित होंगे, जिनका विवरण रेंजवार निम्न प्रकार है:-

(क) रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित आरक्षित/संरक्षित वन भूमि का रेंजवार विवरण								
क्र० सं०	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	वन ब्लाक/मार्ग/रेल पटरी का नाम	आरक्षित वन भूमि (हे० में)	संरक्षित वन भूमि (हे० में)	गजट नोटिफिकेशन सं०		
1	2	3	4	5	6	7		
1-	रायबरेली	सलोन	कमालापुर वन ब्लाक	2.341	-	4979/14 Dt.-27.09.1955		
		डलमऊ	टाधन (लखनऊ-प्रतापगढ़-प्रयागराज रा०रा०-30)	-	0.072	3208/14 Dt.-23.08.1955		
			रोझिया गोकलपुर (लखनऊ-प्रतापगढ़-प्रयागराज रा०रा०-30)	-	2.5416	3208/14 Dt.-23.08.1955		
			मरहामऊ वन ब्लाक	5.8844	-	4979/14 Dt.-24.09.1955		
			धोबहा (रायबरेली-ऊंचाहार-फाफामऊ रेल मार्ग)	-	0.1867	104(2)/14-2-503-77 Dt.-09.05.1977		
			जगतपुर (रायबरेली-ऊंचाहार-फाफामऊ रेल मार्ग)	-	0.2016	104(2)/14-2-503-77 Dt.-09.05.1977		
			मलपुरा (उन्नाव-ऊंचाहार रेल मार्ग)	-	0.4583	3559/14-2-503-77 Dt.-22.06.1978		
		लालगंज	उगाभाद वन ब्लाक	7.4387	-	4979/14 Dt.-24.09.1955		
			श्यामपुर वन ब्लाक	7.8879	-	4979/14 Dt.-24.09.1955		
			रमवापुर दुबाई	-	2.7144	23.2.93, 24.06.93		
योग				23.552	6.1746			
कुल योग-				29.7266 hectares				
(ख) रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित/गैर वन भूमि में स्थित वन विभाग के बाधक वृक्षों/पौधों का रेंजवार विवरण								
क्र० सं०	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार (संरक्षित/आरक्षित/गैर वन भूमि)	भूमि गाटा संख्या	बाधक/प्रभावित विभागीय (वन विभाग) वृक्षों की संख्या	बाधक/प्रभावित विभागीय (वन विभाग) पौधों की संख्या	चैनेज संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	रायबरेली	सलोन	कमालापुर (वन ब्लाक)	आरक्षित वन भूमि	334,755,756,757क,754	-	1800	542+500 से 542+700
		डलमऊ	टाधन (लखनऊ-प्रतापगढ़-प्रयागराज रा०रा०-30)	संरक्षित वन भूमि	259	22	-	517+700
		डलमऊ	रोझिया गोकलपुर (लखनऊ-प्रतापगढ़-प्रयागराज रा०रा०-30)	संरक्षित वन भूमि	143	-	-	517+700
		डलमऊ	मरहामऊ (वन ब्लाक)	आरक्षित वन भूमि	307, 292, 289, 274, 303, 322, 321, 342, 304	-	11151	537+265 से 537+850
		डलमऊ	धोबहा (रायबरेली-ऊंचाहार-फाफामऊ रेल मार्ग)	संरक्षित वन भूमि	412	-	-	516+100
		डलमऊ	जगतपुर (रायबरेली-ऊंचाहार-फाफामऊ रेल मार्ग)	संरक्षित वन भूमि	325	-	-	516+100
		डलमऊ	मलपुरा (उन्नाव-ऊंचाहार रेल मार्ग)	संरक्षित वन भूमि	437	-	-	503+000

क्र० सं०	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार (संरक्षित/आरक्षित/गैर वन भूमि)	भूमि गाटा संख्या	बाधक/प्रभावित विभागीय (वन विभाग) वृक्षों की संख्या	बाधक/प्रभावित विभागीय (वन विभाग) पौधों की संख्या	चैनेज संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		लालगंज	उगाभाद (वन ब्लाक)	आरक्षित वन भूमि	826,1181,1183,1230,791,1278ख,779,811	-	14133	480+525 से 481+830
		लालगंज	श्यामपुर (वन ब्लाक)	आरक्षित वन भूमि	365,369,368,367,437,653,442,615,617ख,551	-	14987	472+450 से 473+000
		लालगंज	रमवापुर दुबाई	संरक्षित वन भूमि	314,362	8	5157	468+300 से 468+530
		डलमऊ	उमरण (ऊंचाहार-सलोन मार्ग)	गैर वन भूमि	-	27	-	533+000
		डलमऊ	सुमेरबाग (शारदा नहर)	गैर वन भूमि	-	46	180	530+100 से 530+200
		डलमऊ	अलावलपुर (जगतपुर से डलमऊ मार्ग)	गैर वन भूमि	-	28	-	511+700
		डलमऊ	अलावलपुर (छोटी नहर)	गैर वन भूमि	-	17	120	511+600
		डलमऊ	ऐहार (नहर)	गैर वन भूमि	-	-	180	484+500 से 485+100
		डलमऊ	कठघर (रायबरेली-मुंशीगंज-डलमऊ मार्ग)	गैर वन भूमि	-	5	-	499+000
		लालगंज	बसावन खेड़ा (सेमरी-रायबरेली मार्ग)	गैर वन भूमि	-	18	38	470+500
		लालगंज	चांदा (बांदा-बहराइच मार्ग)	गैर वन भूमि	-	30	-	482+650
		लालगंज	ऐहार (रा0रा0-232)	गैर वन भूमि	-	86	-	487+200
		लालगंज	फतेहसराय (कोती नाला नहर)	गैर वन भूमि	-	35	-	477+000
योग						322	47746	

नोट:- गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के संरक्षण में डलमऊ रेंज के अन्तर्गत गैर वन भूमि में स्थित वन विभाग के 123 वृक्ष एवं 480 पौधे तथा लालगंज रेंज के अन्तर्गत 169 वृक्ष एवं 38 पौधे प्रभावित होंगे।

- उक्त वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण में किया जाना अपरिहार्य है तथा उक्त परियोजना हेतु भूमि की मांग न्यूनतम है।
- यूपीडा के द्वारा संसूचित संरक्षण मानचित्र ग्रामों की सूची मार्ग की नपत एवं भू-निर्देशांकों के अनुसार उक्त संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वन भूमि प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण में प्रभावित नहीं होगी।


(संजय झा)
यूपीडा प्रतिनिधि


(नागेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
सलोन


(हरिप्रसाद श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
डलमऊ


(फिरोज खान)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
लालगंज


(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,
रायबरेली


(अनुराग कुमार)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

Government of Uttar Pradesh
District Pratapgarh (UP)

Ref. No 3089/2-1

Date: 07/06/21

संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

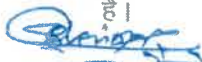
मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा के पत्र संख्या 12103/1832 यूपीडा/20(वन) दिनांक 07.10.2020 के कम में यूपीडा के प्रतिनिधि श्री संजय झा एवं इस वन प्रभाग के प्रतिनिधि क्षेत्रीय वन अधिकारी कालाकांकर रंज एवं श्री अवध बिहारी, वन दरोगा तथा श्री जगदीश प्रसाद बीट प्रभारी की उपस्थिति में गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में आ रहे ग्रामों में स्थित एवं प्रभावित वन भूमि के संबंध में संयुक्त सर्वेक्षण कार्य किया गया जिसमें 10749 हे० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है।

गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में प्रतापगढ़ वन प्रभाग में प्रभावित हो रही संरक्षित वन भूमि एवं बाधक वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	मार्ग का नाम	संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे०में)	बाधक वृक्षों/पौधों का विवरण		योग	नोटिफिकेशन संख्या व दिनांक
						वृक्षों की सं०	विगत वर्षों में कराये गये वृक्षारोपण के पौधों की सं०		
1	प्रतापगढ़	लालगंज	सराय संग्राम सिंह	लालगंज-कालाकांकर मार्ग	0.4029	166	2550	2716	1115 / 14-3 31-50 दिनांक 10.02.1960
2	प्रतापगढ़	कुण्डा	प्रतापपुर वेयरगढ़	लालगंज-कालाकांकर मार्ग	0.6720				
योग--					1.0749	166	2550	2716	

नोट:-

- उक्त वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एक्सप्रेसवे के निर्माण में किया जाना अपरिहार्य है तथा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना ली जाने वाली वन भूमि परियोजना हेतु न्यूनतम है।
- यूपीडा के द्वारा संसूचित संरेखण मानचित्र, ग्रामों की सूची, मार्ग की नपत एवं भू-निर्देशांकों के अनुसार उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वन भूमि प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रभावित नहीं हो रही है।
- गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में विभिन्न गैर संरक्षित मार्गों पर कुल 56 राजकीय वृक्ष प्रभावित/बाधक हैं, जिनका पातन किया जायेगा।
- गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न ग्राम सभाओं में विगत वर्षों में कराये गये वृक्षारोपणों के अन्तर्गत 19550 पौधे क्षतिग्रस्त होंगे।
- गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।


शुभम भट्टनागर
अधिकृत प्रतिनिधि
यूपीडा


क्षेत्रीय वन अधिकारी
कालाकांकर


प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्रभागीय निदेशक प्रतापगढ़।
संरक्षित वन एवं वानिकी वन एवं वन प्रभाग
प्रतापगढ़


उप प्रभागीय वन अधिकारी
लालगंज, प्रतापगढ़ वन प्रभाग


(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ